Received

दिनांक 26.08.2017 को उप विकास आयुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व अन्य योजनाओं का आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति पंजीकृत -

उप विकास आयुक्त, गिरिडीह द्वारा बैठक में उपस्थित बिक्री कर पदाधिकारी,सहायक खनन पदाधिकारी, मत्स्य पर्यवेक्षक, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय अभियंता एवं प्रखण्ड समन्वयक, PMU का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई -

GST

01 जुलाई,2017 से जी0एस0टी0 देश में लागू है। मनरेगा योजना में भी GST का Implementation होना है। सरकार स्तर से मनरेगा में GST Implementation का निर्देश अब तक नहीं आया है। GST क्या है ? मनरेगा योजना में इसका Implementation किस प्रकार से किया जाना है ? इसके बारे में विस्तार से जानकारी सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं क0अभि0 को दी गयी। बिक्री कर पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिस योजना का प्राक्कलित राशि 2.5 लाख से उपर है उस योजना पर 2% GST Charge होगा। इस संबंध में बताया गया कि सभी DDOs को GST Portal में पंजियन करना होगा। उदाहरण के तौर पर मनरेगा की योजना में भुगतान मुखिया के द्वारा किया जाता है तो मुखिया का पंजियन GST Portal में कराया जाना है।

GST के संबंध में 05 बिन्दुओं को मुख्यतः ध्यान में रखने की बात कही गई :-

1. सभी DDOs का पंजियन।
2. जिस माह में कटौती किया गया है उसके अगले महिने के 10 तारीख तक रिर्टन फाईल
3. कटौती राशि पाँच दिनों के अन्दर सरकारी कोष में जमा करना है।
4. जमा करने के पाँच दिनों के अन्दर GST 7A TDS Certificate आपूर्तिकर्त्ता को उपलब्ध कराना है।
5. GST 7A TDS Certificate पाँच दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर 100/- रू0 प्रतिदिन अधिकतम 5,000/- रू0 विलम्ब शुल्क

बिक्री कर पदा0 के द्वारा बताया गया कि GST कटौती के लिये DDOs जिम्मेवार होंगे।

ROYALTY

मनरेगा योजना में विभिन्न प्रकार के खनिज यथा :- बालू,ईट, गिट्टी, मोरम आदि खनिज का व्यवहार होता है। अगर इन खनिजों का क्रय पट्टेधारी से किया जाय तो Royalty नहीं काटी जायेगी सिर्फ बाजार मूल्य जमा करना है। इस संबंध में सहायक खनन पदा0, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि किसी भी पंचायत में अगर वहाँ नदी है और उस पंचायत में मनरेगा की योजना क्रियान्वित की जा रही है तो वैसे योजना में बालू को व्यवहार में लाया जा सकता है परन्तु उस बालू को पंचायत से बाहर नहीं ले जाना है और न ही बिक्री करना है।

सहायक खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अब Royalty Online Mining Challan के द्वारा जमा हो रही है। इसके लिये www.jharkhandminerals.gov.in Website उपलब्ध है। सहायक खनन पदा0 द्वारा Projector के माध्यम से विस्तार से Online Process की विधिवत जानकारी दी गई। Online के प्रक्रिया में यदि कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो इसके निदान के लिये श्री प्रशांत उपाध्याय से दूरभाष पर सम्पर्क स्थापित करने का निदेश दिया गया। श्री उपाध्याय का मो0 नं0 है 7549125453

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत सर्वप्रथम पंजीकरण, जियो टैग, स्वीकृत आवास, प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त एवं चतुर्थ किस्त की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सरकार के निदेशानुसार गृह प्रवेश सप्ताह मनाना है। इसके लिये आवास योजना को जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाना है। आवास योजना में मनरेगा योजना से शौचालय स्वीकृत कराकर कार्य प्रारंभ कराना है। आवास पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत् गैस उपलब्ध कराया जाना है। साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत् निःशुल्क बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना है। प्रखण्ड समन्वयक वित्तीय वर्ष–2016–17 के सभी लाभुकों के पास आवास के सत्यापन के लिये जायेंगे और गुणवत्ता के जाँच करेंगे। आवास की गुणवत्ता अच्छी हो, निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप हो इसका ध्यान रखेंगे। समीक्षा के क्रम में किसी–किसी प्रखण्ड में आवास का आकार बड़ा होने की बात प्रखण्ड समन्वयक द्वारा बताया गया। इस पर रोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि वैसे लाभुकों से बात करें और जरूरत पड़ी तो राशि की वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करें। लाभुकों को बताये आवास का कार्य बड़ा रखने से समय सीमा के अन्दर आवास पूर्ण नहीं हो पायेगा। अन्त में बाध्य होकर राशि वसूली की कार्रवाई की जायेगी।

प्रखण्ड कार्यक्रम पदा0 एवं प्रखण्ड समन्वयक दोनों को एक टीम के रूप में कार्य करना है। प्रखण्ड समन्वयक से आवास की सूची लेनी है। सूची लेने के उपरान्त मनरेगा से शौचालय निर्माण कार्य शुरू करवाना है। समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड समन्वयक बेंगाबाद अनुपस्थित पाये गये। इस पर रोष व्यक्त करते हुए प्रखण्ड समन्वयक बेंगाबाद पर कारणपृच्छा करने का निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि 31 अगस्त,2017 तक प्रधानमंत्री आवास योजना में तृतीय किस्त का भुगतान 100% हो जानी चाहिए। अन्यथा प्रखण्ड समन्वयक पर कार्रवाई की जायेगी।

समीक्षा के क्रम में विभिन्न प्रखण्डों के Technical Issues को प्रशिक्षण समन्वयक, PMAY-G को Collect करने का निदेश दिया गया जिसे कि बैठक के पश्चात् SPMU से बात की जा सके।

सभी प्रखण्डों में जिले से प्रतिनियुक्त टैग पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आप मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रखण्ड जायें और द्वितीय एवं तृतीय किस्त तथा तृतीय किस्त एवं चतुर्थ किस्त के बीच जो गैप है इसे यथाशीघ्र दूर करें। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आवास योजना में मनरेगा का डिमांड समय पर Generate नहीं हो पा रहा है इसलिये आवास निर्माण की पूर्णता की गति Low है। आवास योजना में Step by Step Mandays Generate

करते जायें जिससे की आवास योजना पूर्ण दिखे और मनरेगा में योजना में Ongoing दिखे। Mandays Generate नहीं होने के कारण आवास की योजना स्वीकृत तो दिखती है पर कार्य प्रारंभ नहीं दिखता है। यदि आवास योजना में 95 Mandays Generate नहीं होगा तो आवास पूर्ण नहीं दिखेगा। समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया Target का Entry कराना है। यदि डिमांड Generate होगा तो मनरेगा में Mandays बढ़ता हुआ दिखेगा। इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखण्ड समन्वयक को प्रत्येक दिन समीक्षा करने का निदेश दिया गया। साथ ही यह निदेश दिया गया कि आवास योजना में अगले किस्त भुगतान के पूर्व डिमांड Generate कर दें। टैग पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदा0, प्र0कार्य0पदा0 एवं प्र0 समन्वयक Mandays Generate की समीक्षा करेंगे।

प्रतिवेदन के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में प्रखण्डवार रैकिंग की गयी जिसमें प्रथम स्थान जमुआ, द्वितीय स्थान धनवार, तृतीय स्थान सरिया प्रखण्ड का है। शेष प्रखण्डों में गति लाने का निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में 31 अगस्त तक छत ढलाई पूर्ण कराते हुए तृतीय किस्त का भुगतान सुनिश्चित करायेंगे। तृतीय किस्त प्रधानमंत्री आवास योजना में महत्वपूर्ण किस्त है। इसके बाद प्लास्टर एवं रंग रोगन के लिये अगले किस्त का भुगतान किया जाता है। यदि लाभुकों को तृतीय किस्त का भुगतान ससमय होता है तो आवास के पूर्णता में तेजी आयेगी। निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रत्येक लाभुक के पास जाना है और आवास निर्माण हेतु उन्हें प्रेरित करना है।

प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी आवास योजना के लाभुकों को मनरेगा से शौचालय स्वीकृत कराना सुनिश्चित करेंगे। जैसे-जैसे आवास योजना में कार्य होता जा रहा है, ठीक उसी प्रकार शौचालय की योजना में भी कार्य होना है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रधानमंत्री आवास योजना को हर हाल में 15 सितम्बर,2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत लक्ष्य के अनुरूप आवासों का निबंधन,जियो टैग स्वीकृत करते हुए प्रथम किस्त का शत प्रतिशत FTO करना सुनिश्चित करेंगे।

लम्बित इन्दिरा आवास

वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक लम्बित इंदिरा आवास योजना की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखण्ड-बेंगाबाद,देवरी एवं तिसरी लम्बित इन्दिरा आवास की संख्या ज्यादा है।

सभी सहायक अपने-अपने प्रखण्डों में लम्बित इंदिरा आवास की समीक्षा करें। शौचालय के लिये जो आवास लम्बित पड़े हैं वैसे आवासों में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर मनरेगा से शौचालय स्वीकृत कराकर आगामी मंगलवार तक कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें। आवास निर्माण योजना में आगामी

मंगलवार तक शौचालय की योजना स्वीकृत कराकर कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया तो प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को कार्यमुक्त किया जायेगा।

मनरेगा

समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि मनरेगा अन्तर्गत डोभा निर्माण योजना में मछली पालन करायी जाय। इसके लिये बैठक में उपस्थित मत्स्य पर्यवेक्षकों को निदेश दिया गया कि प्रति डोभा 300 मछली का जिरा आपूर्ति की जाय जिसे की डोभा निर्माण योजना में मछली पालन कराया जा सके। इस क्रम में निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्ड डिमांड का आँकलन कर समर्पित करें जिससे की मत्स्य पर्यवेक्षक के द्वारा मछली का जिरा उपलब्ध कराया जा सके। 10 तारीख तक सभी प्रखण्डों में डिमांड चार्ट तैयार कर लें जिसके पश्चात् मछली के जिरे की आपूर्ति मत्स्य पर्यवेक्षक के द्वारा किया जा सकेगा। मत्स्य पर्यवेक्षकों को निदेश दिया गया कि प्रखण्डों में जाकर एक कार्यशाला का आयोजन करें जिसमें लाभुकों को प्रशिक्षण दें।

आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना

आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना के समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि अब तक 245 आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना पूर्ण है जबकि 139 आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना का ही MIS में Close किया गया है। MIS के लिये प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पूर्ण रूपेण जिम्मेवार हैं। कुल 629 योजना का ढलाई कार्य पूर्ण हैं इसे जल्द से जल्द पूर्ण कराते हुए MIS में बंद कराने का निदेश दिया गया। हर हाल में 15 सितम्बर,2017 तक आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना में धीमी प्रगति के कारण सरिया, एवं गाण्डेय प्रखण्ड के कनीय अभियंताओं पर 5,00/- 5,00/- रू0 का अर्थदण्ड लगाया गया। साथ ही प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अर्थदण्ड की राशि वसूल कर आगामी मंगलवार अभिकरण कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा अगले दो दिनों में समस्त राशि प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के मानदेय से वसूली जायेगी।

डोभा निर्माण

डोभा निर्माण योजना के समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि 2 फीट एवं 4 फीट डोभा निर्माण योजना को शून्य करना है। 6 फीट एवं 8 फीट डोभा निर्माण योजना को यथाशीघ्र पूर्ण करना है। प्रखण्डवार प्रतिदिन Close करने का लक्ष्य दिया गया।

क्र0सं0	प्रखण्ड	लक्ष्य
1	गिरिडीह	20
2	बेंगाबाद	15

3	गाण्डेय	20
4	पीरटांड	20
5	डुमरी	25
6	बगोदर	20
7	सरिया	20
8	धनवार	25
9	जमुआ	25
10	बिरनी	20
11	देवरी	25
12	तिसरी	20
13	गावाँ	25

यदि प्रतिदिन के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जाता है तो संबंधित पर 500/- रू0 प्रतिदिन Fine impose किये जायेंगे। समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि प्रति सप्ताह डोभा निर्माण योजना को पूर्ण करते जाय और डोभा निर्माण योजना में बाँस की घेराबंदी भी सुनिश्चित करायें।

Daily Check list for MGNREGA Works

Average Work Per Village के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गावाँ प्रखण्ड की स्थिति अत्यंत खराब है। गावाँ प्रखण्ड में Average Work per Village 01 से कम है।

समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि प्रत्येक ग्रामों में मनरेगा की 05 योजना क्रियान्वित रहनी चाहिए। इसके लिये प्रत्येक पंचायत में 25 NADEP एवं 25 वर्मी कम्पोष्ट की योजना ली जाय। अगर आगामी बैठक में किसी भी पंचायत में यह अनुपात कायम नहीं रहा तो प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पर 1,000/- रू0 अर्थदण्ड लगाया जायेगा। NADEP एवं वर्मी कम्पोष्ट की योजना के अलावे IHHL, 30X40 Model, Plantation, Shed, Land Laveling की योजना स्वीकृत कराकर कार्य प्रारंभ करायें। आवश्यकतानुसार मिट्टी मोरम की योजना भी कार्यान्वित करायें।

समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि नीचे दिये गये प्रपत्र में प्रतिदिन J.E. Wise प्रतिवेदन समर्पित करेंगे :-

Name of JE :_____ Mobile No:_____

Block :_____ Allotted Gram Panchayat :_____

Name of GP	No. of AWC		No. of Dobha		IHHL		NADEP		Vermi Compost		Road (Morrum)		S
	Started	Comp.	Started	Comp.	Started	Comp.	Started	Comp.	Started	Comp.	Started	Comp.	

_____

Signature of JE

DBT

DBT के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बेंगाबाद,बिरनी, देवरी, धनवार, गाण्डेय, गिरिडीह एवं सरिया प्रखण्डों की स्थिति अच्छी नहीं है। 15,353 डी0बी0टी0 अब तक लंबित है। आगामी बैठक तक इसे हर हाल में पूरा कर लिया जाना है। इसमें जिस प्रखण्ड से चुक होगी उस प्रखण्ड के प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पर 1,000/- रू0 अर्थदण्ड वसूल की जायेगी।

जियो टैगिंग

जियो टैगिंग के समीक्षा के कम में पाया गया कि Complete work एवं जियो टैग के बीच बेंगाबाद, बिरनी, बगोदर, देवरी, डुमरी, गावाँ, गिरिडीह, जमुआ, पीरटांड, सरिया एवं तिसरी की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि 31 अगस्त, 2017 के पहले अभियान चलाकर 100% जियो टैग करना सुनिश्चित करें। क्योंकि 01 सितम्बर,2017 से Geo tag Phase-II प्रारंभ हो जायेगा।

Scheme pending

Scheme pending की समीक्षा के कम में निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की सभी योजना को एम0आई0एस0 में बन्द करें। पूर्व के सप्ताहिक बैठकों में भी लगातार निदेश दिये जाते रहे हैं परन्तु निदेश के बावजूद भी बेंगाबाद,बिरनी, देवरी,डुमरी, गाण्डेय, गावाँ, गिरिडीह, जमुआ, पीरटांड,सरिया एवं तिसरी प्रखण्डों में लम्बित योजना की संख्या ज्यादा है। आगामी बैठक में यदि यही स्थिति रही तो संबंधित प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पर अर्थदण्ड लगाया जायेगा।

Job Card Verification

Job Card Verification के समीक्षा के कम में पाया गया कि इसमें और तेजी लाने की जरूरत है। गत बैठक में भी इस पर रोष व्यक्त किया गया था। पुनः इस पर रोष व्यक्त करते हुए सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को शत प्रतिशत करने का निदेश दिया गया।

Delayed Payment

Delayed Payment के समीक्षा के कम में पाया गया कि बेंगाबाद, धनवार, देवरी, गाण्डेय, डुमरी, गावाँ, गिरिडीह एवं तिसरी प्रखण्डों का आँकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इन प्रखण्डों में 5 प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक पहुँच गया है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में Delayed Payment का आँकड़ा 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। समीक्षा के कम में कई गत बैठक में निदेश दिया गया था कि पूर्व में दिये गये आदेशों का अब तक अनुपालन नहीं हुआ है। प्रखण्ड नजारत में अब तक वसूल कर जमा की गई राशि का ब्यौरा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 07 दिनों में जमा करेंगे। यदि प्रखण्ड विकास

पदाधिकारी द्वारा संबंधित से **Delay Payment** हेतु 05 दिनों के अन्दर अर्थ दण्ड लगाकर राशि वसूल नहीं कि जाती है तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के ऊपर 1,000/- का अर्थदण्ड लगेगा और राशि वेतन से काटी जाएगी। इसका सख्ती से पालन किया जाय परन्तु अब तक जिले में राशि जमा नहीं की गयी है। अगर आगामी मंगलवार तक प्रखण्ड से वसूल की गयी राशि जिले में जमा नहीं की जाती है तो संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के विरूद्ध कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा सुधार विभाग, राँची को कार्रवाई करने की अनुशंसा की जायेगी। साथ ही संबंधित प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यमुक्त होंगे। सभी टैग पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे प्रखण्डों में जाकर कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं मनरेगा लेखा सहायक के साथ बैठक करें और Delay Payment के आँकड़े को कम करने हेतु निदेशित करें। समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं मनरेगा लेखा सहायक को प्रखण्ड स्तर से चेतावनी पत्र दें। साथ ही 14वीं के कम्प्यूटर ऑपरेटर से मनरेगा का कार्य लें। DDOs देखे की जहाँ मुखिया के स्तर से भुगतान लंबित है उनके खिलाफ जिला को प्रतिवेदन समर्पित करें। 31 अगस्त,2017 तक यदि गाण्डेय के कनीय अभियंता में सुधार नहीं होता है तो वे कार्य मुक्त होंगे। साथ ही श्री सौरभ कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, गिरिंडीह प्रखण्ड पर Delay Payment के कारण कारणपृच्छा करने का निदेश दिया गया।

Watershed

पूर्व में Watershed की योजना Watershed Committee द्वारा क्रियान्वित की जाती थी। वर्त्तमान में इसका क्रियान्वयन मनरेगा से किया जायेगा। इसके अन्तर्गत 09 योजना हैं जिसमें 04 योजना Ongoing है तथा 05 योजना का डी0पी0आर0 तैयार है। इसके क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी श्री राम बिलास, परियोजना पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0 एवं श्री दिलीप देव, तकनीकी विशेषज्ञ हैं।

जलछाजन योजनान्तर्गत प्रखण्ड बेंगाबाद,बिरनी,धनवार तथा सरिया में अविलम्ब कार्य प्रारंभ कराने हेतु संबंधित प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी तथा कनीय अभियंता को निदेश दिया गया था। सभी संबंधित कनीय अभियंता को प्राक्कलन के संबंध में तकनीकी विशेषज्ञ, श्री दिलीप देव द्वारा जानकारी दी गई थी। दिनांक 22.08.17 को प्रखण्ड- बिरनी एवं दिनांक 23.08.17 को प्रखण्ड- धनवार में श्री राम बिलास, परियोजना पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0 एवं तकनीकी विशेषज्ञ, श्री दिलीप देव द्वारा प्रशिक्षण दिया गया परन्तु मात्र बेंगाबाद प्रखण्ड के सोनबाद पंचायत में कार्य चालू पाया गया। अन्य प्रखण्डों में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए आगामी बैठक से पहले जिस-जिस पंचायतों में जलछाजन की योजना है उसमें कार्य प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया।

अंत में सधन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

उप विकास आयुक्त-सह
जिला कार्यक्रम समन्वयक
गिरिडीह।
26.08.17

ज्ञापांक 2376 /अभि0,गिरिडीह, दिनांक 29 अगस्त, 2017

प्रतिलिपिः- सभी संबंधित सहायक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह को सूचना प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आवांटित प्रखण्डों से संबंधित मामलों अनुपालन प्रखण्डवार अनुपालित कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, गिरिडीह जिला को सूचना एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह जिला अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी कार्यपालक अभियंता, गिरिडीह/जिला अभियंता, जिला परिषद्, गिरिडीह अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवा हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि बैठक की कार्यवाही को जिले की वेवसाइ में Upload करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्या प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रखण्ड के सभी वरीय पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह।
26.08.17